न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2173–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–04–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला गुना के प्रकरण कमांक 07/2010–11/स्वमेव निगरानी.

.....

1–शांतीबाई पत्नी स्व.रामरतन
2–प्रेमनारायण पुत्र स्व.रामरतन
3–नन्नूलाल पुत्र स्व.रामरतन
निवासीगण ग्राम वृन्दावन तहसील आरोन
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोतीलाल श्रीवास्तव
निवासी ग्राम सिरसी तहसील आरोन जिला गुना
2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री संतोष वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री चन्द्रशेखर, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः २।१।१२ को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला गुना के समक्ष जन सुनवाई में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत कियां गया कि ग्राम वृदावन तहसील आरोन जिला गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 3/2 रकबा 0.836

हेक्टेयर उन्हें पटटे पर प्राप्त हुई थी । उक्त भूमि के संबंध में अनावेदक कमांक 1 बीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा उपपंजीयक कार्यालय में दिनांक 5–6–1996 को आवेदकगण को धोखे में रखकर फर्जी तौर से अपने पक्ष में विकय पत्र निष्पादित करा लिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर कलेक्टर द्वारा प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा से प्रतिवेदन चाहा गया । प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा गुना द्वारा दिनांक 19–1–2016 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को शासकीय पटटे पर दी गई थी एवं विकय से निषेध थी और अनावेदक कमांक 1 द्वारा भूमि कय करने में अनुमति सक्षम प्राधिकारी से नहीं ली गई है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 1 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया कि क्यों न प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर अवैधानिक रूप से सम्पादित विकय पत्र को शून्य घोषित किया जावे । कलेक्टर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण कमांक 7/स्व0नि0/10–11 दर्ज कर दिनांक 16–4–12 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में किया गया नामान्तरण निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित किया जाना आदेशित किया गया । साथ ही पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा अवैधानिक रूप से नामान्तरण स्वीकार किये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 5–6–1996 को प्रश्नाधीन भूमि का विकय नहीं किया जाकर बधंक रखी गई थी और अनावेदक कमांक 1 ने 10 वर्ष पश्चात् विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण करा लिया और जैसे ही आवेदकगण को वर्ष 2010 में अवैधानिक रूप से किये गये नामान्तरण की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल कलेक्टर के समक्ष जन सुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा नामान्तरण निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की

गई है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित करने में आवेदकगण के विरूद्ध अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा आवेदकगण का ही चला आ रहा है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण अनपढ़ होकर ग्रामीण कृषक है, अतः उसे विधि की जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जैसे ही आवेदकगण को नामान्तरण की जानकारी हुई, उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई और कलेक्टर को शिकायती आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया, अतः कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि उभयपक्षों की आपस में मिलीभगत रही है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पटटे की है और अहस्तान्तरणीय है, ऐसा कोई उल्लेख राजस्व अभिलेखों में नहीं है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा बंधक नहीं रखी जाकर विकय की गई है और विकय पत्र दिनांक 5–6–96 को निष्पादित किया गया । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा 14 वर्ष के पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के आधार पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही 180 दिवस के अन्दर की जानी चाहिये । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही विलम्बित की गई है, उनका आदेश निरस्त किया जाये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को विधि की पूर्ण जानकारी है ।

5/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विकय पत्र में शासन पक्षकार नहीं है और जैसे ही शासन को अवैधानिक विकय पत्र निष्पादित होने एवं नामान्तरण किये जाने की

कार्यवाही की जानकारी हुई उनके द्वारा तत्काल स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है जो कि विलम्बित मान्य नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पटटे की भूमि है जिसका विकय बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के किया गया है, जबकि संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत पटटे की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विकय नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में कलेक्टर जिला गुना द्वारा अपने आदेश में न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुये उनके प्रकाश में विस्तृत विवेचना करते हुये निष्कर्ष निकाले गये है, जो पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है, अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–4–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 698–पीबीआर/2012 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर